17/विविध (सात निश्चय पार्ट-03) - 22/2025

पत्रांक–01 –(17)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सभी अंचलाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–01/01/2026

विषय :–**प्रशासनिक आदेशों एवं अर्द्ध–न्यायिक कार्यों में समता–सिद्धांत(Parity-Principle) एवं संविधान के अनुच्छेद–14 का अनुपालन करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।**

महाशय,

राज्य सरकार का सात निश्चय पार्ट–3 के स्तंभ–7 में ''सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)'' एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसे साकार एवं परिलक्षित करने के उद्धेश्य से प्रशासन के अधीन विभिन्न कोटि के राजस्व पदाधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद–14 के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य है जिससे मनमानी (Aarbitrariness) रोकी जा सके एवं राजस्व निर्णयों में समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों (वादों) में समान व्यवहार का विनिश्चय अपेक्षित है।

भूमि सुधार जन कल्याण संवाद–2025 के अंतर्गत प्रमण्डलीय मुख्यालयों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि राज्य के राजस्व पदाधिकारी प्रशिक्षण एवं विधिक ज्ञान के अभाव में समता–सिद्धांत (Parity-Principle) को दरकिनार एवं नज़रअंदाज कर प्रशासनिक आदेश एवं अर्द्ध–न्यायिक आदेश पारित करते हैं जो "Arbitrary" तो है ही साथ ही संविधान के अनुच्छेद–14 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में निम्नलिखित सामान्य दिशा–निर्देश (General Guidelines) प्रख्यापित किये जाते है जिसे राजस्व पदाधिकारी अपने कार्यों एवं लोक व्यवहार में लाऐंगे, जिससे जन साधारण का विश्वास राजस्व प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ सके एवं सात निश्चय के उद्धेश्य की पूर्ति हो सके। राजस्व एवं प्रशासनिक मामलों में यथा :–

(क) भूमि विवाद

(ख) दाखिल–खारिज

(ग) अतिक्रमण हटाने

(घ) जमाबंदी कायम करना

(ड) पट्टा (Land Parcel) देयता

(च) सार्वजनिक भूमि से संबंधित निर्णय

– में एकरूप एवं निष्पक्ष कार्यवाही अपेक्षित है तथा समाहर्त्ता इनमें कठोरता एवं दृढ़ता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञातव्य हो कि संविधान के अनुच्छेद–14 में यह सिद्धान्त है कि :–

"समान तथ्य, समान परिस्थिति, समान अधिकार एवं समान कर्त्तव्य की स्थिति में स्थित व्यक्तियों से समान प्रशासनिक एवं विधिक (Legal) व्यवहार किया जाना अनिवार्य है," जो विधिक शासन (Rule of Law) का अभिन्न अंग है।

3- संविधानिक व्यवस्था के आलोक में राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक/अर्द्ध–न्यायिक कार्यों में ऐसे कृत पर स्पष्ट निषेध है, यथा :–

(क) पहचान देखकर आदेश

(ख) किसी दवाब के आलोक में भिन्न व्यवहार

(ग) समान मामलों में अलग–अलग प्रशासनिक आदेश।

(घ) समान परिस्थितियों में चयनात्मक सख्ती।

ऐसे कृत्य से लोक विश्वास का ह्रास होता है एवं राजस्व प्रशासन की शाख पर भी प्रश्न–चिन्ह लगता है।

4- अतः सभी राजस्व पदाधिकारी प्रशासनिक/अर्द्ध–न्यायिक कार्यों में आदेश पारित करने हेतु निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगे –

(क) सकारण आदेश (Speaking Order)

(ख) आदेश में तथ्यों की तुलना (Comparative Reasoning)

(ग) यदि सामान मामलों में भिन्न निर्णय लिया गया हो तो अलग से स्पष्ट करण अंकित हो।

उक्त दिशा–निदेशों का कड़ाई एवं दृढता से अनुपालन सुनिश्चित कराने/करने का दायित्व जिला समाहर्त्ता का होगा।

विश्वासभाजन,

(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव
दिनांक– 01/01/2026

ज्ञापांक – 01 –(17)

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव
दिनांक– 01/01/2026

ज्ञापांक – 01 –(17)

प्रतिलिपि – सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव
01/01/2026